न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 48/2009

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 श्रीमति धुली पुत्री देवाजी पत्नी रेखाराम जाति कलबी निवासी पावली हाल गमीपुरा तहसील भीनमाल		1 श्रीमति ढेली पत्नी विजयसिंह जाति राजपूत निवासी पावली तहसील भीनमाल
2 श्रीमति दिवाली पुत्री देवाजी पत्नी चमनाराम जाति कलबी निवासी पावली हाल खेडा बोरटा तहसील भीनमाल		2 विजयसिंह पुत्र समरथसिंह जाति राजपूत निवासी पावली तहसील भीनमाल
		3 श्रीमति समदा पुत्री देवाजी पत्नी सामाजी जाति कलबी निवासी पावली तहसील भीनमाल
		4 पीरा पुत्र देवाजी
		5 आम्बा पुत्र देवाजी
		6 भला पुत्र देवाजी
		7 सगरामा पुत्र अचलाजी
		8 रता पुत्र अचलाजी
		9 सूरता पुत्र अचलाजी
		10 अमरा पुत्र रूपाजी
		11 करता पुत्र रूपाजी
		12 तिकमा पुत्र रूपाजी जातिगण कलबी निवासीगण पावली तहसील भीनमाल
		13 भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल
		14 पटवारी हल्का पावली
		15 उप पंजीयक भीनमाल

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री बसन्त कुमार गहलोत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

–: निर्णय :–

दिनांक : 8.6.18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2009 श्रीमति धुनी बनाम श्रीमति ढेली वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2009 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पावली के गत खसरा नम्बर 110, 829, 880, 108 व 109 की भूमि में अपीलाण्ट

तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पिता देवा पुत्र धन्ना कलबी का 1/2 हिस्सा था। देवा फौत होने पर उक्त भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण मात्र देवा की पत्नी एवं अपीलाण्ट एवं रेंस्पोडेन्ट संख्या 4 की माता चरमीदेवी के नाम दर्ज हुआ। जबकि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने चरमीदेवी को मुगालते में रखते हुए उक्त भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 18.05.2009 को निष्पादित करवाया। इस पर अपीलाण्ट ने स्वयं को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद जैर अपील निर्णय के जरिये खारिज कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 देवाजी की पुत्रियां होने नाते उनकी सम्पति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिशान है, जिससे जैर अपील वादस्थ भूमि में अपीलाण्ट के हक हकूक निहित है तथा उक्त बेचान नामा भी अपीलाण्ट के हक हकूकों के विरूद्ध शून्य एवं बेअसर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों को गलत रूप से विवेचित कर अपीलाण्ट का वाद खारिज किया है। यदि किन्ही परिस्थितियों में न्यायालय वाद को अपने क्षेत्राधिकार का नहीं मानता है, तो उसे माफिक कानून लौटाया जाना चाहिए था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न लौटाकर भारी भूल की है, जिससे जैर अपील निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है। उक्त भूमि में आज भी अपीलाण्ट अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे के अभाव में बेचान को अहमियत देकर भारी भूल की है, जिससे जैर अपील निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील वादस्थ भूमि को अपनी पुश्तैनी होना बताते हुए वाद प्रस्तुत किया। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की है। अपीलाण्ट को यदि उक्त विक्रय विलेख से किसी प्रकार का शिकवा था, तो उन्हे उक्त विक्रय विलेख को निरस्त करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए अपीलाण्ट का वाद खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार का विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलाकन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि अपने पिता की सम्पति होना बताते हुए उक्त भूमि में से अपने हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। चूंकि प्रकरण में विधिक बिन्दु निहित होने पर उसका प्राथमिक रूप से निस्तारण किया जाना आवश्यक था, इस

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का अवलोकन एवं मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट्स/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होना मानते हुए जैर अपील आदेश के जरिये वादीगण का वाद खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2009 श्रीमति धुनी बनाम श्रीमति ढेली वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2009 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 8.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर